।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 10.02.2018

अवैध कारतूस सहित पुलिस पकड में

जिले में अवैध हथियारों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा 4 जिन्दा कारतूस 12 बोर के जप्त कर 1 ब्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना चिकसानाः**– श्री हरवीरसिंह हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान केवल नगला के पास से **1. अजयसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति जाट निवासी बराखुर थाना चिकसाना** को 4 अवैध जिन्दा कारतूस 12 बोर के गिरफ्तार कर मु0नं0 55/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

अवैध चाकू सहित पुलिस शिकंजे में

1. **थाना रूपवासः–** श्री रामस्वरूप स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर कस्वा रूपवास में अवैध छुरा लेकर घूमते हुये पाये जाने पर आरोपी **1. राजेन्द्रसिंह पुत्र कलुआ जाति जाटव निवासी जरैला थाना रूपवास** को एक अवैध चाकू (छुरा) सहित गिरफतार कर मु0नं0 71/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण के मामले का आरोपी पुलिस शिकंजे में

1. **थाना उच्चैनः**– श्री अमीरचन्द हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान कस्वा उच्चैन से ट्रैक्टर चालक **1. भगवानदास पुत्र वासुदेव जाति कुशवाह निवासी टौंटपुर थाना खेरागढ जिला आगरा** को ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफतार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमोरी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु0नं0 35/18 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

मारपीट के मामले का फरार आरोपी पुलिस गिरफ्त में

1. **थाना जुरहराः–** गांव खेडली अलीमुद्दीन थाना जुरहरा निवासी श्रीमति सम्पतवी पत्नि मौहरखां जाति मेव ने गांव के ही निवासी साहबखां वगैराह 7–8 जनों के विरूद्ध गांव बमनवाडी के पास प्रार्थिया की गाडी को रूकवाकर प्रार्थिया व परिजनों के साथ मारपीट कर 10000 रूपये व मोबाईल फोनों को चोरी कर ले जाने एक मामला दिनांक 21.07.2017 को थाना जुरहरा पर मु0नं0 176/17 धारा 143, 323, 341, 379 भा0द0स0 में दर्ज कराया था। थानाधिकारी श्री आशुतोष उ0नि0 द्वारा उक्त मामले के नामजद फरार आरोपी **1. साहबखां पुत्र महरखां जाति मेव निवासी खेडली अलीमुद्दीन थाना जुरहरा** को गिरफतार किया गया है।

अपहरण के मामले का आरोपी गिफ्तार

1. **थाना भुसावरः–** गांव नयागांव खालसा थाना भुसावर निवासी जलसिंह पुत्र सुतारसिंह जाति जाटव ने गांव के ही लोकेश वगैराह 2 जनों के विरूद्ध एक राय होकर प्रार्थी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण करने का एक मामला दिनांक 28.01.2018 को थाना भुसावर पर मु0नं0 25/18 धारा 363, 366 भा0द0स0 में दर्ज कराया था। वृताधिकारी वृत भुसावर श्री वासुदेव सिंह आर0पी0एस द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. लोकेश पुत्र बाबूलाल जाति जाटव निवासी नयागांव खालसा थाना भुसावर** को गिरफतार किया गया है।

4 स्थाई वारंटी/वारंटी सलाखों के पीछे

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग–अलग स्थानों से 2 स्थाई वारंटी व 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना चिकसानाः–** श्री पदमसिंह स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव आजादनगर से स्थाई वारंटी **1. मनोहर पुत्र रामसिंह जाति बाबरिया निवासी आजादनगर थानाा चिकसाना** को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना वैरः–** श्री बीधाराम स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव समराया से वारंटी **1. श्रीराम** व **2. मुरारी पुत्रान रामधन जाति गुर्जर निवासी समराया थाना वैर** को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना मथुरागेटः–** श्री शिवलाल हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर सहयोगनगर से स्थाई वारंटी **1. देवेन्द्र पुत्र लक्ष्मणप्रसाद जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला थाना मथुरागेट** को गिरफ्तार किया गया है।

शराबी कार चालक पुलिस पकड में

1. **थाना अटलबंदः–** थानाधिकारी श्री मुकेशकुमार उ0नि0 द्वारा हीरादास चौराहा से शराव के नशे में कार चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी कार चालक **1. विशालदीप पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति पंजावी सिख निवासी करनाल असन्ध हरियाणा** को गिरफतार कर इनोवा कार को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

13 जुआरी/सटोरिया बन्द हवालात

10085 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग–अलग स्थानों से 13 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 10085 रूपये नकद मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना नदबईः–** श्री राकेशसिंह उ0नि0 द्वारा कस्वा नदबई से **1. फूलसिंह पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी थाना नदबई** को 230 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 90/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

2. **थाना बयानाः–** बयाना पुलिस द्वारा कस्वा बयाना से **1. मानसिंह पुत्र लहरीराम जाति कुशवाह निवासी खरैरी थाना बयाना** व **2. प्रेमसिंह पुत्र रोशनसिंह जाति जाट निवासी कस्वा बयाना** को क्रमशः 1250, 310 रूपये (कुल 1560 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 111, 112/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

3. **थाना रूदावलः**– श्री जगदीशसिंह स0उ0नि0 द्वारा गांव बंशी पहाडपुर से **1. मोतीलाल पुत्र पूरनचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बंशी पहाडपुर थाना रूदावल** को 1355 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 57/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

4. **थाना अटलबंदः**– अटलबंद पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से **1. राजकुमार पुत्र मणिकचन्द जाति जाटव निवासी नगला हीरादास थाना अटलबंद** व **2. धर्मसिंह पुत्र बिस्सूराम जाति जाटव निवासी विजयनगर थाना अटलबंद** को क्रमशः 350, 310 रूपये (कुल 660 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 42, 43/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

5. **थाना रूपवासः**– रूपवास पुलिस द्वारा कस्वा रूपवास से **1. सूरज पुत्र विजेन्द्रसिंह, 2. सुखवीर पुत्र मूलचंद जातियान धीमर** तथा **3. हुकमसिंह पुत्र पांच्याराम जाति कुशवाह निवासियान कस्वा रूपवास** को क्रमशः 260, 190 रूपये (कुल 450 रूपये) मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 69, 70/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

6. **थाना भुसावरः**– श्री नरेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा भुसावर से **1. धर्मवीरसिंह पुत्र राजसिंह जाति जाट, 2. ओमी पुत्र नन्नू जाति हरिजन** तथा **3. राजू पुत्र परभाती जाति कोली, 4. बालसिंह पुत्र रूपसिंह जाति जाट निवासियान पथैना थाना भुसावर** को क्रमशः 2810, 3020 रूपये (कुल 5830 रूपये) मय जुआ सामग्री के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 46, 47/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 13 जने गिरफ्तार

1. **थाना अटलबंदः–** थानाधिकारी श्री मुकेशकुमार उ0नि0 द्वारा हीरादास चौराहा से 1. अंकुर पुत्र रवि, 2. धर्मवीर पुत्र श्याम जातियान हरीजन निवासियान अनाहगेट थाना अटलबन्द, 3. तेजपाल पुत्र खूबीराम जाति सैनी निवासी तिलकनगर थाना अटलबन्द, 4. अशोककुमार पुत्र फतेहसिंह जाति गुर्जर निवासी जिन्दपुरा थाना रूपवास, 5. दीपचन्द पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पींगौरा थाना नदबई, 6. गौरव पुत्र करनसिंह जाति कढेरा निवासी सिमको लेबर कॉलोनी थाना उधोगनगर, 7. सुभाष पुत्र गुदराम जाति जोगी निवासी महेन्द्रगढ, 8. संजीव पुत्र करनसिंह जाति कढेरा निवासी सिमको लेबर कॉलोनी थाना उधोगनगर, 9. मानवीर पुत्र कुलाराम जाति जाट निवासी अलीगढ 10. पंकज पुत्र भोजराज जाति खटीक निवासी उदयगढी अलीगढ को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना उच्चैनः–** श्री शिवरामसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा उच्चैन से 1. पोखन पुत्र रामजीलाल जाति खटीक, 2. रामेश्वर पुत्र खडगसिंह जाति गुर्जर निवासियान कस्वा उच्चैन व 3. दानसिंह पुत्र भजनलाल जाति धाकड निवासी मुढेरा थाना उच्चैन को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 22 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना अटलबंदः–** थानाधिकारी श्री मुकेश कुमार उ0नि0 द्वारा थाना परिसर से 1. योगी उर्फ युवराज पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ थाना नदबई व 2. योगेश पुत्र साहबसिंह जाति जाटव निवासी कच्चा कुण्डा अनाहगेट थाना कोतवाली भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना मथुरागेटः–** श्रीमती दीपा शर्मा स0उ0नि0 द्वारा रीको फांटक के पास से 1. महेन्द्रसिंह पुत्र नथोली जाति धोबी व 2. सुनील पुत्र देवीसिंह जाति कुम्हार निवासियान रीको रोड फांटक के पास थाना मथुरागेट को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना बयानाः–** श्री अशोकसिंह उ0नि0 द्वारा थाना परिसर से 1. राजवीरसिंह पुत्र लालहंस जाति गुर्जर निवासी नगला भांड थाना बयाना को गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना कुम्हेरः–** थानाधिकारी श्री सीताराम मीणा पु0नि0 द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. कुंवरपाल पुत्र सोरनसिंह जाति जाट निवासी सिनसिनी थाना डीग, 2. बल्देव पुत्र ईश्वरदयाल जाति ब्राह्मण निवासी सिकरोरी थाना कुम्हेर, 3. केशवदेव पुत्र मदनलाल जाति पटवा, 4. विनोद पुत्र भगवानसिंह जाति जाटव निवासियान कस्वा कुम्हेर व 5. श्यामसुन्दर पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी पान्हौरी थाना डीग को गिरफ्तार किया गया है।
5. **थाना डीगः–** डीग पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. विष्णु उर्फ विशन पुत्र हुकमी जाति नाई निवासी कस्वा डीग, 2. केहरसिंह व 3. मेहरसिंह पुत्रान शिव्वन जाति जाटव निवासी बद्रीपुर थाना डीग को गिरफ्तार किया गया है।
6. **थाना नदबईः–** श्री रामपालसिंह स0उ0नि0 द्वारा थाना परिसर से 1. सुभाष पुत्र बुद्धीराम जाति जाटव, 2. रिंकू पुत्र दौलतसिंह जाति जाटव निवासी बुढवारी कलां थाना नदबई, 3. शिवलाल पुत्र रामू, 4. अजयपाल पुत्र श्यामलाल जातियान जाटव, 5. सुरेन्द्र, 6. बृजेन्द्र पुत्रान हेतरामसिंह जाति जाटव निवासीयान सालिमपुर थाना नदबई को गिरफ्तार किया गया है।

7. **थाना उधोगनगरः–** श्री रामनिवास उ0नि0 द्वारा सिमको स्कूल के पास से 1. करनवीर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाटव निवासी शारदा स्कूल के पास श्यामनगर थाना मथुरागेट को गिरफ्तार किया गया है।
8. **थाना भुसावरः–** श्री ओमप्रकाश स0उ0नि0 द्वारा थाना परिसर से 1. अमरसिंह पुत्र भोलीराम व 2. स्वरूपसिंह पुत्र रामजीलाल जातियान मीना निवासियान कस्वा भुसावर को गिरफ्तार किया गया है।

178 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 178 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में 120 वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी 18 वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में 40 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।